शाहजहांपुर पुलिस

112 आपात सेवाएं

प्रेस नोट

सराहनीय कार्य दिनांक 24.11.24

SWAT, थाना रोजा व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम को मिली बडी कामयाबी

SWAT,थाना रोजा व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाले 04 शातिर चोरों को मय माल 9 किलो 600 ग्राम सफेद धातु,30 ग्राम पीली धातु के जेवर,सेंध लगाने के उपकरण व 01 अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन , श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल प्रयवेक्षण मे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे SWAT टीम, थाना रोजा पुलिस व सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 29-10-2024 की रात्रि मे ग्राम जमुका मे रेशमा ज्वैलर्स सर्राफा की दुकान मे हुई चोरी की घटना के संबध मे अभियुक्तगण 1.भोला पुत्र बाबू निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही शाहजहाँपुर उम्र 40 वर्ष 2. सुरेश पुत्र गिरधन निवासी ग्राम रम्पुरा थान पसिगँवा जिला लखीमपुर खीरी उम्र 24 वर्ष 3. राजू उर्फ रजुआ पुत्र अमरपाल निवासी मलिकिया थान निगोही शाहजहाँपुर उम्र करीब 30 वर्ष 4. सोनू पुत्र भगवंत निवासी मिलकिया थाना निगोही शाहजहाँपुर उम्र 28 वर्ष को आज दिनांक 24-11-2024 को सुबह करीब 05.10 बजे जपनापुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगणो की निशानदेही पर मु0 अ0 सं0 670/24 धारा 305, 331(4) बीएनएस 2024 का चोरी गया माल, जेवरात जपनापुर मोड से ग्राम मुकरमपुर जाने वाली नहर के किनारे एक गढ्ढे मे बोरी से निकालकर बरामद कराया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्तगणों द्वारा करीब 02 माह पूर्व थाना निगोही के उनकला गाँव के एक मकान मे बाग की तरफ से सेंध लगाकर जेवर और रुपये चोरी किये थे तथा करीब 11 दिन पहले हरपालपुर करना हरदोई मे एक ब्यूटी पार्लर की दुकान की चोरी तथा इससे पहले बिहार के दरभंगा जिले मे बाईपास के पास एक ज्वैलरी की दुकान मे उसमे चाँदी और सोने की चोरी का भी माल जेवरात बरामद कराया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग : -

1. मु0अ0सं0 670/24 धारा 305,331(4),317(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर

गिरफ्तार अभियुक्तगण : -

1. भोला पुत्र बाबू निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही शाहजहाँपुर उम्र 40 वर्ष
2. सुरेश पुत्र गिरधन निवासी ग्राम रम्पुरा थान पसिगँवा जिला लखीमपुर खीरी उम्र 24 वर्ष
3. राजू उर्फ रजुआ पुत्र अमरपाल निवासी मलिकिया थान निगोही शाहजहाँपुर उम्र करीब 30 वर्ष
4. सोनू पुत्र भगवंत निवासी मिलकिया थाना निगोही शाहजहाँपुर उम्र 28 वर्ष

अपराधिक इतिहास :-

1. **अभि0 भोला पुत्र बाबू नि0 ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर**
    1. मु0अ0सं0 143/24 धारा 2(b)(i) उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना निघासन जनपद खीरी
    2. मु0अ0सं0 604/23 धारा 380,411,413,457 भा.द.वि थाना निघासन जनपद खीरी
    3. मु0अ0सं0 634/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना निघासन जनपद खीरी

2. **अभि0 राजू उर्फ रजुआ पुत्र अमरपाल नि0 मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर**

    1.मु0अ0सं0 311/19 धारा 380,457 भा.द.वि थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर
    2.मु0अ0सं0 256/19 धारा 307,504 भा.द.वि थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
    3.मु0अ0सं0 444/23 धारा 380,411,457 भा.द.वि थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर
    4.मु0अ0सं0 581/23 धारा 398,401 भा.द.वि व 4/25 आयुध अधि0 थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय : -

आज दिनांक 24-11-2024 को सुबह करीब 05.10 बजे जपनापुर मोड़ से

गिरफ्तारी पूछताछ :-

पकड़े गये अभियुक्तगण ने कड़ाई से पूछने पर बताया कि करीब 25 दिन पहले थाना रोजा के जमुका गांव मे ज्वैलरी की दुकान मे हम लोगो ने चोरी की थी तथा दूसरी ज्वैलरी की दुकान जब शटर तोड़कर अन्दर घुसे तो दुकान के पीछे आहट होने पर हम लोग उस दुकान से बिना चोरी किये ही निकल गये। तथा करीब 02 माह पूर्व थाना निगोही के उनकला गाँव के एक मकान मे बाग की तरफ से सेंध लगाकर जेवर और रुपये चोरी किये थे, तथा करीब 11 दिन पहले हरपालपुर करना हरदोई मे एक ब्यूटी पार्लर की दुकान मे चोरी की थी तथा उस दुकान से कमल ज्वैलरी कि दुकान की दिवाल काट रहे थे लेकिन काट नही पाये ब्यूटी पार्लर की दुकान मे हमे कुछ रुपये मिले। इससे पहले बिहार के दरभंगा जिले मे बाईपास के पास एक ज्वैलरी की दुकान मे उसमे चाँदी और सोने के सामान की चोरी की थी। तथा करीब 03 महिने पहले बिहार के सहरसा जिले के कस्बा बारुल बाजार मे सुनार की दुकान से चाँदी व सोना चोरी किया था ।आज भी हम लोग मुकरमपुर मे एक चोरी करने के इरादे से आये थे किन्तु आप लोगो ने पकड़ लिया। पकडे गये व्यक्तियो के पास मे रखे थैले की तलाशी ली गयी तो उसमे एक अदद हथौडा,02 छैनी (छोटी/बडी),02 आरी ब्लेड व एक रिंच दो खाना है जिसके बारे मे पूछा गया तो सभी ने एक स्वर मे बताया कि हम लोग इन्ही औजार की मदद से घरो व दुकानो मे सेंधमारी व ताले तोड़ते हैं।

बरामदगी : -

1. एक अदद तमंचा 12 बोर मय एक जिन्दा कारतूस 12 बोर
2. सेंध लगाने के उपकरण
3. 09 किलो 600 ग्राम सफेद धातु के जेवर
4. 30 ग्राम पीली धातु के जेवर
5. 1300 रूपये नगद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

थाना रोजा पुलिस

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार
2. उ0नि0 प्रांजल सिंह यादव
3. रि0उ0नि0 अंकति चौधरी
4. रि0उ0नि0 लालबहादुर सिंह
5. हे0का0 हरनाम सिंह
6. का0 ओमप्रकाश
7. का0 प्रेमपाल सिंह
8. का0 दिनेश मावी

SWAT/S.O.G टीम

1. एस.ओ.जी प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह
2. हे0का0 राम संजीवन
3. हे0का0 विपिन कुमार
4. हे0का0 उदयवीर सिंह
5. हे0का0 चा0 कपिल ठाकुर

सर्विलांस सेल

1. का0 प्रभात कुमार
2. का0 शिवम कुमार
3. का0 मुकुल कुमार
4. का0 सचिन कुमार